संख्याः– /XVIII(II)/2018–01(43)/2016

प्रेषक,

बी0एम0 मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनःदिनांकः 06 जून, 2018**

विषयः–मै0 शाह कास्टिंग लि0 मुज्जफरगनर, उ0प्र0 को औद्योनिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेड्स के उत्पाद) हेतु ग्राम इमलीखेड़ा धर्मपुर, परगना व तहसील, रूड़की जनपद, हरिद्वार में 2.8167 है0 भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1159/जि0भू0व्य0सहा0/2017, दिनांक 16 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 शाह कास्टिंग लि0 मुज्जफरगनर, उ0प्र0 को औद्योनिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेड्स के उत्पाद) हेतु ग्राम इमलीखेड़ा धर्मपुर परगना व तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में भूमि चक क्रम संख्या–579अ के प्रस्तावित जोत के गाटा नम्बरान 26/1 रकबई 0–1–0 व 27/3 रकबई 0–1–10 व 40/1 रकबई 0–13–4 व 41/1 रकबई 0–7–0 व 41/2 रकबई 1–16–0 व 42 रबई 2–11–0 व 43 रकबई 0–13–10 व 46/1 रकबई 1–6–0 व 431/1 रकबई 0–13–0 व 432/1 रकबई 0–7–17 व 468/1 रकबई 4–3–10 व 469/1 रकबई 0–1–0 व 469/2 रकबई 0–17–5 अर्थात कुल तेरह किते कुल रकबई 13–14–16 पुख्ता अर्थात 2.8167 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 शाह कास्टिंग लि0 मुज्जफरगनर, उ0प्र0 को औद्योनिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेड्स के उत्पाद) हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत भूमि क्रय करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ

क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेड्स के उत्पाद) की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

7– औद्योगिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेड्स के उत्पाद) का निर्माण किये जाने सम्बन्धी मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– इकाई को औद्योगिक प्रयोजन (इंगट एवं ब्लेड्स के उत्पाद) स्थापित किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में तत्समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

9– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

10– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण का प्लान सीड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– इकाई को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

13– इकाई राज्य सरकार/शासन के संबंधित विभाग से प्रस्तावित औद्योगिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञायें/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त कर उद्योग की स्थापना करेगी।

14– भूमि क्रय करने के उपरान्त निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान क्षेत्र के सक्षम विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

15— इकाई को विनियमित क्षेत्र के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

16— क्रय की जा रही भूमि के विक्रय–विलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

17— प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

18— सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राश्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

19— सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

20— सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21— जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवषेश भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

22— सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

23— किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेता को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

24— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

25— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

26— उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या– 824/XVIII(II)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, उद्योग, इण्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
6– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीड़ा, 2–न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
7– निदेशक, मै0 शाह कास्टिंग लि0 मुजफ्फनगर, उत्तर प्रदेश।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।